

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक-12.09.2022

क्रमा नम्बर 179/2022

शिशराम दत्तक पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी गोदारा का बास, सिंगनोर तहसील उदयपुरवाटी जिला
झुन्झुनू (राज0)

.....वादी

-बनाम-

1. चांदकोरी देवी पत्नी रामरतन
2. गिरधारी पुत्र कानाराम
3. राजेन्द्र पुत्र कानाराम
4. बनारसी पुत्री कानाराम
5. संतोष पुत्री कानाराम
6. छोटी पुत्री कानाराम
7. कुरड़ाराम पुत्र रामेश्वर
8. हेतराम पुत्र रामेश्वर
9. श्रीचन्द पुत्र रामेश्वर
10. उम्मेद देवी पुत्री रामेश्वर
11. सारली देवी पुत्री रामेश्वर
12. रामकुमार पुत्र जयराम
13. रामकुमार पुत्र लिछमण
14. ओमप्रकाश पुत्र लिछमण
15. सुनिल पुत्र बन्ना
16. अनिल पुत्र बन्ना
17. रामप्रताप पुत्र रामधन
18. शिशराम पुत्र रामधन
19. रामकरण पुत्र दीपा
20. ताराचन्द पुत्र दीपा
21. ताराचन्द पुत्र सुखदेवा
22. महिपाल पुत्र सुखदेवा
23. अरविन्द पुत्र जग्गु
24. रमेश पुत्र जग्गु
25. नथुसिंह पुत्र नौरंग
26. लिलाधर पुत्र नौरंग
27. ओमप्रकाश पुत्र आशाराम
28. मनोज पुत्र आशाराम
29. प्रवीण कुमार पुत्र विधाधर
30. देवकरण पुत्र गोरधन
31. महेश पुत्र गोरधन
32. संदीप पुत्र रामप्रताप
33. सुरेन्द्र पुत्र रामप्रताप
34. ताराचन्द पुत्र मुकुन्दा
35. कुरड़ाराम पुत्र माला
36. कमला पुत्री भाना
37. मदन पुत्र हरदेवा
38. अमरचन्द पुत्र हरदेवा
39. धमेन्द्र पुत्र हरदेवा
40. विजेन्द्र पुत्र हरदेवा
41. ताराचन्द पुत्र श्योकरण
42. शिशराम पुत्र श्योकरण



न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)

अरविन्द पुत्र शिम्भु
गुलझारी पुत्र लादू
संजू पुत्र लादू

श्रीराम पुत्र सांवल
राजेन्द्र पुत्र पोकर

पप्पू पुत्र पोकर

जगदीश पुत्र राधाकिशन

हरफुल पुत्र भगवानाराम

हरिसिंह पुत्र भगवानाराम

रामप्रताप पुत्र भगवानाराम

विधाधर पुत्र भगवानाराम

प्रेम पुत्र खमाणाराम

रूघवीर पुत्र खमाणाराम

योगेन्द्र पुत्र रतनाराम

सत्येन्द्र पुत्र रतनाराम

राकेश पुत्र चतरू

मुकेश पुत्र चतरू

दलिप पुत्र मूलचन्द

देवकरण पुत्र तिलोकाराम

मदन पुत्र तिलोकाराम

राकेश पुत्र लादू

प्रमोद पुत्र लादू

रामनाथ पुत्र लादू

कैलाश पुत्र लादू

बलबीर पुत्र लादू

सवाईसिंह पुत्र रूपा

मामचन्द पुत्र रूपा

शिशाराम पुत्र रामेश्वर

बीरबल पुत्र रामेश्वर

इन्द्राज पुत्र रामेश्वर

राजेश पुत्र रामेश्वर

दयानन्द पुत्र रामेश्वर

पप्पू पुत्र रामकरण

अजय कुमार गोदाराम पुत्र हरीराम

विजयसिंह पुत्र पुत्र हरीराम

नीतू पुत्री हरीराम

नीलम पुत्री हरीराम

निवेदिता गोदारा पत्नी हरीराम

रमेश कुमार पुत्र मोहनलाल

अन्नू पुत्री मोहनलाल

जयकरणसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामलाल

झीमकोरी पुत्री रामलाल

तुलसी पुत्री रामलाल

दीपाराम पुत्र रामसुख

सरदाराराम पुत्र रामसुख

राजकुमार पुत्र सुण्डाराम

रामकरण पुत्र चिमनाराम

रामकरण पुत्र रामदेवा

सुण्डाराम पुत्र भगवानाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण गोदारा का बास, सिंगनोर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं
(राज0)-333032

श्री ३ सी (३३३०३२)
राज0

सान प्रतिवादीगण नं. 68 लगायत 75 है तथा स्व0 चुन्ना पुत्र पेमा का भी स्वर्गवास हो चुका है जो अविवाहित
लाद फौत हुआ है, जिसके निकटतम वारीसान में वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 49 है, इनके अलावा
कोई वारीस नहीं है, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व0 चुन्ना पुत्र पेमा के हिस्सा 1/12 में से
2 हिस्से के खातेदार वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 12 है व 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण नं.
लगायत 49 है।

वादी ने वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त की तो पटवारी हल्का ने बताया
आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है जिस पर दिनांक 10.06.2022 को राजस्व कैम्प में कैम्प प्रभारी महोदय
यहां राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने हेतु वादी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया परन्तु इस पर भी वादी का नाम
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ। इसलिये वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216,
2218, 2219, 2220, 2221 रकबा क्रमशः 0.55, 1.04, 0.63, 0.84, 0.10, 0.10, 0.19, 0.64, 0.45, 0.87 हैक्टर कुल
किता 10 कुल रकबा 5.41 हैक्टर वाके ग्राम परसरामपुरा के राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज मृतक व्यक्तियों
का नाम हटाया जाकर पैरा नं. 3 में वर्णित घोषित खातेदारी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 92 को
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। इसलिये वादी के लिये यह दावा बाबत घोषणार्थ, दुरुस्ती
रिकॉर्ड का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

वादी ने वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त की तो पटवारी हल्का ने बताया
कि आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है जिस पर दिनांक 10.06.2022 को राजस्व कैम्प में कैम्प प्रभारी महोदय
के यहां राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने हेतु वादी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया परन्तु इस पर भी वादी का नाम
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण व राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने के रोज उक्त वाद प्रस्तुत
करने हेतु वादकारण बमुकाम परसरामपुरा पैदा हुआ। प्रतिवादी संख्या 93 बैंक है, जिसके यहां से प्रतिवादी नं. 92
ने ऋण ले रखा है, उक्त ऋण का दायित्व भी प्रतिवादी नं. 92 का ही है। इसलिये उन्हे वाद-पत्र में प्रतिवादी
बनाया गया है ताकि वाद के आवश्यक पक्षकार का नुक्स न रहे।

वादी द्वारा वाद पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण नं. 1
लगायत 92 इस आशय से डिक्री फरमाया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216,
2218, 2219, 2220, 2221 रकबा क्रमशः 0.55, 1.04, 0.63, 0.84, 0.10, 0.10, 0.19, 0.64, 0.45, 0.87 हैक्टर कुल
किता 10 कुल रकबा 5.41 हैक्टर वाके ग्राम परसरामपुरा में स्थित हिस्सा 1/64 का खातेदार काश्तकार वादी को
घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नं. 1 को हिस्सा 1/64, प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 6 को हिस्सा 1/32,
प्रतिवादीगण नं. 7 लगायत 11 को हिस्सा 1/32, प्रतिवादी नं. 12 को हिस्सा 1/32, प्रतिवादीगण नं. 13 लगायत
31 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 32 लगायत 48 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादी नं. 49 को हिस्सा 1/16,
प्रतिवादीगण नं. 50 लगायत 53 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 54 लगायत 67 को हिस्सा 1/16,
प्रतिवादीगण नं. 68 लगायत 75 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 76 लगायत 92 को हिस्सा 1/2 का खातेदार
काश्तकार घोषित किया जावे तथा गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृतक खातेदार खांगा, हरलाल, चौखा,
मीवा, रुड़ा, रूपा का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 92 का नाम
घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के आदेश प्रतिवादी नं. 94 को दिया
जावे। अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो और वादी के हक में पड़ती हो वह दिलवाई जावे।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की
गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 94 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नहीं होने से इनके विरुद्ध एक
पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

शहादत वादीगण में वादीगण स्वयं उपस्थित होकर अपना मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया तथा
अपने वाद-पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत् 2021-2024 प्रदर्श-1, नकल जमाबंदी सम्वत्
2023-28 प्रदर्श-2, नकल जमाबंदी सन् 1985 प्रदर्श-3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2044 प्रदर्श-4, नकल जमाबंदी
सम्वत् 2052 से 2055 प्रदर्श-5, नकल जमाबंदी सम्वत् 2048 से 51 प्रदर्श-6, नकल जमाबंदी सम्वत् 2075-2078
प्रदर्श 7, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2053 प्रदर्श-8, नकल मिलान क्षेत्रफल सन् 1985 प्रदर्श-9, नकल प्रार्थना
पत्र कैम्प प्रभारी पं.स. नवलगढ प्रदर्श-10 आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस वकील वादीगण एक पक्षीय बगौर सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने दौराने
बहस वाद-पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का
ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम परसरामपुरा की सरहद में खाता संख्या नया 495 के अन्तर्गत भूमि खसरा
नम्बर 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218, 2219, 2220, 2221 रकबा क्रमशः 0.55, 1.04, 0.63, 0.84, 0.
10, 0.10, 0.19, 0.64, 0.45, 0.87 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 5.41 हैक्टर स्थित होना नकल जमाबंदी
2075-78 जो कि प्रदर्श से प्रमाणित है। वादग्रस्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 1963मी. रकबा 21 बीघा 7 बीस्वा पूर्व
में संवत् 2021-24 में खांगा व हरला पुत्र हेमा, चुना पुत्र पेमा, जयराम पुत्र मनसाराम के नाम हिस्सा 1/4 की
खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्जशुदा थी यानि उक्त रिकॉर्ड अनुसार जयराम पुत्र मनसाराम का हिस्सा 1/12 व
खांगा, हरलाल पुत्र हेमा का हिस्सा 1/12 व चुन्ना पुत्र पेमा का हिस्सा 1/12 है तथा 1/4 हिस्सा की

खातेदारी जगु पुत्र रूड़ा, रूपा, चोखा, भीवा पुत्र भाना के नाम से दर्जशुदा थी तथा 1/2 हिस्सा की खातेदारी सह-खातेदारो के नाम से दर्जशुदा थी, जो सही रूप से सैटलमेन्ट तक दर्जशुदा चली आ रही थी। दौरान सैटलमेन्ट उक्त भूमि के सैटलमेन्ट खसरा नम्बर डाले तथा खातेदारी को परिवर्तित करते हुये वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 12 के पूर्वज जयराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया तथा उक्त 1/4 व 1/4 दोनो हिस्सो का सिर्फ 1/4 हिस्सा दर्जकर खातेदारी खांगा, हरलाल पिता हेमा, चुन्ना पुत्र पेमा, रूड़ा, रूपा, चोखा पि. भाना के नाम गलत दर्ज कर दी व 1/2 हिस्से की खातेदारी अन्य सह-खातेदारो के नाम दर्ज कर दी तथा वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 12 के पूर्वज जयराम पुत्र मनसाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया, जबकि सैटलमेन्ट बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के किसी खातेदार की खातेदारी हटाने का अधिकार था। इस प्रकार सैटलमेन्ट के बाद का सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज हो गया जो बदस्तुर गलत दर्ज चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218, 2219, 2220, 2221 रकबा क्रमशः 0.55, 1.04, 0.63, 0.84, 0.10, 0.10, 0.19, 0.64, 0.45, 0.87 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 5.41 हैक्टर वाके ग्राम परसरामपुरा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार स्व० खांगा पुत्र हेमा का स्वर्गवास हो चुका है, जिसका नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है। जिसके वारीसान प्रतिवादीगण नं. 13 लगायत 31 है तथा स्व० हरलाल पुत्र हेमा का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसका नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है, जिसके वारीसान प्रतिवादीगण नं. 32 लगायत 48 है तथा स्व० चौखा पुत्र भाना का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसका नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है, जिसका वारीस प्रतिवादी नं. 49 है तथा स्व० भीवा पुत्र भाना का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसका नामान्तरण भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है, जिसके वारीसान प्रतिवादीगण नं. 50 लगायत 53 है तथा स्व० रूड़ा पुत्र भाना का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसका नामान्तरण भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है, जिसके वारीसान प्रतिवादीगण नं. 54 लगायत 67 है तथा स्व० रूपा पुत्र भाना का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसका नामान्तरण भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है, जिसके वारीसान प्रतिवादीगण नं. 68 लगायत 75 है तथा स्व० चुन्ना पुत्र पेमा का भी स्वर्गवास हो चुका है जो अविवाहित लाओलाद फौत हुआ है, जिसके निकटतम वारीसान में वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 49 है, इनके अलावा अन्य कोई वारीस नहीं है, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व० चुन्ना पुत्र पेमा के हिस्सा 1/12 में से 1/2 हिस्से के खातेदार वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 12 है व 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण नं. 13 लगायत 49 है। वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 92 वादग्रस्त भूमि के अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा खातेदार काश्तकार है। इसलिये वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218, 2219, 2220, 2221 रकबा क्रमशः 0.55, 1.04, 0.63, 0.84, 0.10, 0.10, 0.19, 0.64, 0.45, 0.87 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 5.41 हैक्टर वाके ग्राम परसरामपुरा में स्थित भूमि में हिस्सा 1/64 का खातेदार काश्तकार वादी को, प्रतिवादी नं. 1 को हिस्सा 1/64, प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 6 को हिस्सा 1/32, प्रतिवादीगण नं. 7 लगायत 11 को हिस्सा 1/32, प्रतिवादी नं. 12 को हिस्सा 1/32, प्रतिवादीगण नं. 13 लगायत 31 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 32 लगायत 48 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादी नं. 49 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 50 लगायत 53 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 54 लगायत 67 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 68 लगायत 75 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 76 लगायत 92 को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। इसी हिस्सेनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 92 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित है। चूँकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श-1 लगायत 10 से वाद वादी पूर्णतया साबित है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम परसरामपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218, 2219, 2220, 2221 रकबा क्रमशः 0.55, 1.04, 0.63, 0.84, 0.10, 0.10, 0.19, 0.64, 0.45, 0.87 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 5.41 हैक्टर में हिस्सा 1/64 का खातेदार काश्तकार वादी को, प्रतिवादी नं. 1 को हिस्सा 1/64, प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 6 को हिस्सा 1/32, प्रतिवादीगण नं. 7 लगायत 11 को हिस्सा 1/32, प्रतिवादी नं. 12 को हिस्सा 1/32, प्रतिवादीगण नं. 13 लगायत 31 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 32 लगायत 48 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादी नं. 49 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 50 लगायत 53 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 54 लगायत 67 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 68 लगायत 75 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 76 लगायत 92 को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कर अमल दरामद करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)

25

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवाणी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)


दावा : बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरुस्ती

मुकदमा सं०:- 179/2022 (शीशराम बनाम चांदकोरी देवी आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दमयंती कंवर (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

ग्राम परसरामपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218, 2219, 2220, 2221 रकबा क्रमशः 0.55, 1.04, 0.63, 0.84, 0.10, 0.10, 0.19, 0.64, 0.45, 0.87 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 5.41 हैक्टर में हिस्सा 1/64 का खातेदार काश्तकार वादी को, प्रतिवादी नं. 1 को हिस्सा 1/64, प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 6 को हिस्सा 1/32, प्रतिवादीगण नं. 7 लगायत 11 को हिस्सा 1/32, प्रतिवादी नं. 12 को हिस्सा 1/32, प्रतिवादीगण नं. 13 लगायत 31 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 32 लगायत 48 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादी नं. 49 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 50 लगायत 53 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 54 लगायत 67 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 68 लगायत 75 को हिस्सा 1/16, प्रतिवादीगण नं. 76 लगायत 92 को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कर अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

जिन.....-..... मुबलिंग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-.....
..फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।
बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.01.2023 को जारी की गई।


ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00